बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

"जिला अपीलीय प्राधिकार" में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए "अभिरूचि हेतु आमंत्रण"।

शिक्षा विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1880 दिनांक–20.12.2013 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (सहायता प्राप्त एवं अल्प संख्यक विद्यालय सहित) में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों द्वारा नियोजित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियोजन संबंधी शिकायतों से संबंधित अपील के निष्पादन तथा उनके सेवा अपील से संबंधित शिकायतों के निपटारा के साथ–साथ अनुदानित कोटि के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं अनुदान की राशि के वितरण से संबंधित शिकायतों के निष्पादन हेतु प्रत्येक जिला में एक अपीलीय प्राधिकार की स्थापना की गयी है। इस प्राधिकार में पीठासीन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार शिक्षा सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारी का मनोनयन/नियुक्ति किया जाना है।

उक्त पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मनोनयन हेतु बिंहार प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार शिक्षा सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारी (दिनांक 31–08–2014 तक सेवा निवृत) जो वर्ग–1 के पद पर न्यूनतम दो वर्ष कार्यरत रहे हों, से अभिरूची आमंत्रित किया जाता है।

अभिरूची रखने वाले पदाधिकारी निम्नांकित प्रपत्र में अपना वायोडाटा Email से directorpe.edu@gmail.com या हाथो–हाथ दिनांक–20/09/2014 तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अपीलीय प्राधिकार के गठन, पीठासीन पदाधिकारी के सेवा शर्त, उनके दायित्व आदि से संबंधित अधिसूचना संख्या–1880 दिनांक–20.12.2013 शिक्षा विभाग के बेवसाइट educationbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव।

"जिला अपीलीय प्राधिकार" के सदस्य के रूप में मनोनयन हेतु

बायोडाटा–प्रपत्र

1.	सेवा निवृत पदाधिकारी का नाम	:–	
2.	जिस सेवा से सेवा निवृत हुए हो उसका नाम	:–	
3.	जिला का नाम जहाँ से सेवा निवृत हुए	:–	
4.	जन्म तिथि	:–	
5.	सेवा निवृति की तिथि	:–	
6.	दिनांक 30–08–2014 को उम्र	:–	
7.	किस पद से सेवा निवृत हुए, (पदनाम)	:–	
8.	पत्राचार का पता :– (दूरभाष संख्या, मो० नम्बर सहित)	:–	
9.	गृह जिला एवं राज्य का नाम	:–	

घोषणा–पत्र

मैं ....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सेवा काल में मुझे किसी विभागीय आरोप के लिए दंडित नहीं किया गया है।

तिथि :...

आवेदन कर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर